



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29112021-231449
CG-DL-E-29112021-231449

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 617]
No. 617]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 26, 2021/अग्रहायण 5, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 26, 2021/AGRAHAYANA 5, 1943

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

आदेश

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2021

फा.सं. CEA-PS-13-17(42)/1/2021-PSPM Division-Part(5).—जबकि श्रीजन एनर्जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड (एस.ई.एस.पी.एल.), जिसका पंजीकृत कार्यालय ऑफिस नं 1, गांधी कोलोनी, जावरा, रतलाम - 457226, मध्यप्रदेश है, ने पारेषण योजना “मैसर्स सृजन एनर्जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड कच्छ, गुजरात में अपने प्रस्तावित 150 मेगावाट पवन फार्म के लिए के लिए कनेक्टिविटी सिस्टम” के तहत बिजली की तारें बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, के.वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. CEA-PS-11-23(20)/1/2018-PSPA-I Division-Part(1) दिनांक 28.10.2020 के द्वारा पारेषण योजना “मैसर्स सृजन एनर्जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड कच्छ, गुजरात में अपने प्रस्तावित 150 मेगावाट पवन फार्म के लिए के लिए कनेक्टिविटी सिस्टम” के अंतर्गत आने वाली शिरोपरि लाइनों के लिए श्रीजन एनर्जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मैसर्स एस.ई.एस.पी.एल. ने 24.06.2021 (टाइम्स ऑफ इंडिया अहमदाबाद, राजस्थान पत्रिका अहमदाबाद, संदेश भुज और संदेश सौराष्ट्र) के स्थानीय अखबारों तथा भारत का राजपत्र साप्ताहिक दिनांक 17.07.2021 से 23.07.2021 में पारेषण योजना के लिए प्रस्तावित पारेषण मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था □ इसके पश्चात, मैसर्स एस.ई.एस.पी.एल. ने 30.09.2021 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई कि समाचार पत्रों / भारत का राजपत्र में उपरोक्त पारेषण योजना के लिए सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं की गई है।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पारेषण योजना “मैसर्स सृजन एनर्जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड कच्छ, गुजरात में अपने प्रस्तावित 150 मेगावाट पवन फार्म के लिए के लिए कनेक्टिविटी सिस्टम” के तहत विद्युत लाइन

बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। पारेषण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिरोपरि लाईन हैं:

1. 220/33 केवी एसईएसपीएल पूलिंग सबस्टेशन (मोरजर) - 765/400/220 केवी भुज पूल II सबस्टेशन 220 केवी एस/सी ट्रांसमिशन लाइन।

योजना के तहत शामिल उपरोक्त ओवरहेड लाइन निम्नलिखित गांवों, कस्बों और शहरों के बीच, ऊपर, आसपास और बीच से गुजरेगी:-

गाँव का नाम	तहसील	जिला
जड़ोदर, कादिया नाना, उखेड़ा, कादिया मोटा, खोंभड़ी मोती, खोंभड़ी नानी, उगेडि, रामपर सरवा, रताडिया, विगोडी, अंबारा (अमारा), मोराय, खिरासरा, टोडिया।	नखत्राणा	कच्छ

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, श्रीजन एनर्जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त शिरोपरि लाइनों को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है-

- (i) यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- (ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- (iii) आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- (iv) आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।
- (v) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।
- (vi) श्रीजन एनर्जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।
- (vii) यदि उपरोक्त ओवरहेड लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ भाग) मानचित्र में चिह्नित जीआईबी संभावित क्षेत्र (या प्राथमिकता क्षेत्र) में आता है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जीआईबी (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) मामले के संबंध में 2019 की याचिका संख्या 838, आदेश दिनांक 19.04.2021 का हिस्सा है। आवेदक को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन के भूमिगत होने के संबंध या बर्ड डायवर्टर लगाने के लिये, जैसा भी मामला हो, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 19.04.2021 के निर्देशों का और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित तकनीकी समिति के निर्देशों का पालन करना है।

वी.के. मिश्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./482/2021-22]

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

ORDER

New Delhi, the 1st November, 2021

F.No. CEA-PS-13-17(42)/1/2021-PSPM Division-Part(5).—Whereas M/s Srijan Energy Systems Private Limited (SESPL), the applicant with its registered office at Office no. 1, Gandhi colony, Jaora, Ratlam – 457226, Madhya Pradesh, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of electric line under the transmission scheme “Connectivity system to M/s. Srijan Energy Systems Private Limited for its Proposed 150 MW Windfarms in Kutch, Gujarat”.

And whereas, CEA, Ministry of Power, Government of India vide its letter no. CEA-PS-11-23(20)/1/2018-PSPA-I Division-Part(1) dated 28.10.2020 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 to M/s Srijan Energy Systems Private Limited for the overhead lines covered under the transmission scheme “Connectivity system to M/s. Srijan Energy Systems Private Limited for its Proposed 150 MW Windfarms in Kutch, Gujarat”.

M/s SESPL has published notice for transmission scheme in local newspapers dated 24.06.2021 (Times of India Ahmedabad, Rajasthan Patrika Ahmedabad, Sandesh Bhuj and Sandesh Saurashtra) and in Weekly Gazette of India dated 17.07.2021 to 23.07.2021 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 60 days from the date of publication. Subsequently, M/s SESPL has submitted an affidavit dated 30.09.2021 declaring that no objection has been received from public within 60 days of publication of Public Notice in newspapers / Gazette of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme “Connectivity system to M/s. Srijan Energy Systems Private Limited for its Proposed 150 MW Windfarms in Kutch, Gujarat”. The following overhead lines are covered under this transmission scheme:

1. 220/33 KV SESPL Pooling substation (Morjar) - 765/400/220KV Bhuj Pool II Substation through 220 kV S/C Transmission line.

The above overhead line included under the scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities:

Names of the village	Tehsil/Taluka	District
Jadodar, Kadiya Nana, Ukheda, Kadiya Mota, Khombhadi Moti, Khombhadi Nani, Ugedi, Rampar Sarva, Vigodi, Ratadiya, Ambara(Amara), Moray, Khirasara, Todiya.	Nakhatrana	Kutch

Now, after careful consideration, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Srijan Energy Systems Private Limited for laying above overhead lines, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned lines, namely:

- (i) The approval is granted for 25 years;
- (ii) The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;
- (iii) The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
- (iv) The Applicant shall operate the lines after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- (v) The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- (vi) M/s Srijan Energy Systems Private Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.

- (vii) In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the GIB potential zone (or priority zone) marked in the map which is part of the order of the Hon'ble Supreme Court order dated 19.04.2021, in the petition No.838 of 2019 regarding GIB (Great Indian Bustard) case, the applicant has to comply with the directions of the Hon'ble Supreme Court, with regard to undergrounding of the above overhead transmission line and / or fixing of bird diverters, as the case may be as per the Hon'ble Supreme Court Order dated 19.04.2021 and the directions of the technical committee constituted by the Hon'ble Supreme Court in this regard.

V.K. MISHRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./482/2021-22]